न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट–ट्रेक) डीग

प्रकरण संख्या:– 89/2018 (जी.सी.एम.एस. नम्बर 2018/00022), पीठासीन अधिकारी:– श्री देवी सिंह (R.A.S)

उनवान

मान सिंह पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी बेढम तहसील व जिला डीग(राज0)

–वादी

बनाम

1. लक्खी
2. पदम सिंह } पुत्रगण तोताराम
3. राजवीर
4. गंगाराम पुत्र सिघराम

} जातियान जाट नि0 बेढम तहसील डीग जिला डीग

5. एच0डी0एफ0सी0 बैंक शाखा भरतपुर
6. तहसीलदार तहसील डीग

–प्रति0

दावा बावत उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88–89 व 188 आर.टी.एक्ट,

निर्णय दिनांक: 26.03.2025

वादी द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया है कि आ.ख.नम्बरान 1620/0.36, 1619/0.21,1618/0.11, 1621/0.12 वाके ग्राम बेढम तहसील डीग में स्थित है। वादी का साविक खसरा नम्बर 1817 रकबा 2 वीघा 14 विस्वा का था जोकि पूर्व के खातेदार जगराम पुत्र परभाती के कब्जे काश्त खातेदारी का था और जगराम पुत्र परभाती द्वारा आराजी मुत0 1817 रकबा 2 वीघा 14 विस्वा सालिम को जरिये बयनामा दिनांक 19.06.1981 को वादी को विक्रय कर दिया और मौके पर दखल व कब्जा वादी को दे दिया तभी से वादी आराजी मुत0 पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज काश्त है और मौके पर वादी आज भी साविक के मुताविक 2 वीघा 14 विस्वा पर काबिज है। वादी का साविक खसरा नम्बर 1817 रकबा 2 वीघा 14 विस्वा को दौरान सैटिलमेंट हाल खसरा नम्बर 1620/0.36 बनाया गया है वादी का साविक रकबा 2 वीघा 14 विस्वा की पैमाईश 43 ऐयर होती है जाकि अब सैटिलमेंट विभाग द्वारा मात्र 36 ऐयर दर्ज की गई है जोकि साविक के मुकावले 7 ऐयर आराजी कम दर्ज की गई है। वादी की साविक आराजी से लगता हुआ साविक खसरा नम्बर 1816 रकबा 2 वीघा व 1815 रकबा 1 वीघा 18 विस्वा का था। साविक खसरा नम्बर 1816 रकबा 2 वीघा से हाल नम्बर 1619/0.34 में वदला गया है। साविक रकबा 2 वीघा की पैमाईश 32 ऐयर होती है इस प्रकार सैटिलमेंट विभाग द्वारा 2 ऐयर आराजी प्रति0 संख्या 1 लगायत 3 के पिता के नाम अधिक दर्ज करदी व साविक खसरा नम्बर 1815 रकबा 1 वीघा 18 विस्वा को हाल नम्बर 1618/0.16 व 1621/0.19 बनाये गये है साविक रकबा 1 वीघा 18 विस्वा की नई पैमाईश 30 ऐयर होती है और प्रति0 नम्बर 01 लगायत 4 के नाम गलत रूप से 35 ऐयर दर्ज करदी गई जबकि मौके पर आज भी प्रति0 साविक रकबा 1 वीघा 18 विस्वा का काबिज है और वादी 2 वीघा 14 विस्वा आराजी पर काश्त कर रहा है। इस

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

प्रकार वादी की 5 ऐयर आराजी खसरा नम्बर 1621/0.19 में दर्ज करदी,सैटिलमेंट विभाग के इस प्रकार आराजी कम व अधिक करने का कोई अधिकार नहीं है। आराजी खसरा नम्बर 1618 व 1621 में होकर रेलवे लाईन निकाली गई और रेलवे विभाग द्वारा जिसका कम्पनसेशन प्रति0 को दे दिया गया और आराजी खसरा नम्बर 1619 मिन/0.21, 1618 मिन/0.11, 1621 मिन/0.12 प्रति0 के नाम दर्ज है व 1619 मिन/0.13, 1618 मिन/0.5, 1621 मिन/0.7 रेलवे विभाग के नाम दर्ज है इस प्रकार सैटिलमेंट विभाग को रकबा कम अधिक करने का कोई अधिकार नहीं था। सैटिलमेंट द्वारा बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश मनमाने तरीके से गलत रूप से कब्जा प्रति0 नम्बर 1 लगायत 3 के पिता तोताराम के नाम व प्रति0 नम्बर 4 के नाम अधिक रकबा दर्ज कर दिया जोकि गलत है। ऐसी स्थिति में वादी आराजी खसरा नम्बर 1619/0.21 में से 2/21 हिस्से का व खसरा नम्बर 1621/0.12 में से 5/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है व प्रति0 नम्बर 1 लगायत 3 के पिता तोताराम के नाम हो रहे इन्द्राज खसरा नम्बर 1619/0.21 में से 2/21 व प्रति0 संख्या 1 लगायत 3 व प्रति0 संख्या 4 के नाम हो रहे इन्द्राज खसरा नम्बर 1621/0.12 में से 5/12 हिस्से से कलमजन कराकर अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकार है। तोताराम फोत हो चुका है इसलिए तोताराम को पक्षकार मुकदमा नही बनाया गया है उसके वारिसान प्रति0 संख्या 01 लगायत 3 है जिन्हें पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। अतः निवेदन है कि आराजी खसरा नम्बर 1619/0.21 में से 2/21 हिस्से का व खसरा नम्बर 1621/0.12 में से 5/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषत किये जाने प्रति0 संख्या 1 लगायत 3 के पिता तोताराम के नाम हो रहे खसरा नम्बर 1619/0.21 में से 2/21 व प्रति0 संख्या 1 लगायत 3 व प्रति0 संख्या 4 के नाम हो रहे खसरा नम्बर 1621/0.12 में से 5/12 हिस्से से कलमजन किया जाकर वादी को 1619/0.21 में से 2/21 हिस्से का व खसरा नम्बर 1621/0.12 में से 5/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रति0 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 06.08.2018 को प्रति. संख्या 1 से 3 स्वयं उपस्थित। दिनांक 10.01.2022 को प्रति0 संख्या 1 से 4 विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई तथा प्रति0 संख्या 6 के द्वारा अपना जबाव दावा पेश किया गया। जबाव में वर्णित किया गया है कि मुताविक मूल विक्रय पत्र रजि0 दिनांक 03.07.1981 के साविक खसरा नम्बर 1817 रकबा 2 वीघा 12 विस्वा विक्रेता जगराम पुत्र परभाती जाति जाट निवासी बेढम द्वारा क्रेता मानसिंह पुत्र श्रीचन्द जाति फौजदार निवासी बेढम को बेचान कर दिया गया था। नकल मिलान क्षेत्रफल साविक खसरा नम्बर 1817 रकबा 1 वीघा 14 विस्वा से हाल खसरा नम्बर 1620 रकबा 0.36 हैक्टे0 बनाया गया है। साविक खसरा नम्बर 1815मिन, 1वीघा 18 विस्वा से हाल खसरा नम्बर 1618 रकबा 0.16 हैक्टे0 व 1621 रकबा 0.19 हैक्टे0 बनाया है व साविक खसरा नम्बर 1816 रकबा 2 वीघा से हाल खसरा नम्बर 1619 रकबा 0.34 हैक्टे0 बनाया गया है।

दिनांक 17.05.2024 को साक्ष्यवादी में मानसिंह व श्रीधर के बयान पंजीबद्व किये जाकर साक्ष्यवादी बंद कर दावे को बहस में रखा गया।

प्रति0 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने व उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही किये जाने के उपरांत वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने दावे में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि आराजी खसरा नम्बर 1619/0.21 में से 2/21 हिस्से का व खसरा नम्बर 1621/0.12 में से 5/12

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषत किये जाने प्रति० संख्या 1 लगायत 3 के पिता तोताराम के नाम हो रहे खसरा नम्बर 1619/0.21 में से 2/21 व प्रति० संख्या 1 लगायत 3 व प्रति० संख्या 4 के नाम हो रहे खसरा नम्बर 1621/0.12 में से 5/12 हिस्से से कलमजन किया जाकर वादी को 1619/0.21 में से 2/21 हिस्से का व खसरा नम्बर 1621/0.12 में से 5/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रति० को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद फरमाया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन व वकील वादी की बहस पर मनन किया गया।

हमने वादी के वादपत्र,प्रति० संख्या 6 के जबाव दावे,पीडब्ल्यू–1, मान सिंह,पीडब्ल्यू–2,श्रीधर के बयान पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य जमाबन्दी सम्बत 2072 से 2075 खसरा नम्बर 1620 रकबा 0.36हैक्टेयर जो वादी मान सिंह के नाम खातेदारी दर्ज है प्रदर्श–1, जमाबन्दी सम्बत 2072–75 खसरा नम्बर 1619 रकवा 0.21,खसरा नम्बर 1618 रकबा 0.11,खसरा नम्बर 1619 रकबा 0.21, खसरा नम्बर 1618 रकबा 0.11 खसरा नम्बर 1621 रकवा 0.12 प्रदर्श–2, जो प्रति० संख्या 1 लगायत 3 के पिता तोताराम व प्रति० संख्या 4 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नक्सा अक्स खसरा नम्बरान 1620,1619,1618,1621प्रदर्श3,मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2040 प्रदर्श 4 जिसमें हाल खसरा नम्बर 1620 रकबा 0.36 साविक खसरा नम्बर 1817 रकबा 2 वीघा 14 विस्वा हाल खसरा नम्बर 1619 रकबा 0.34 हैक्टे० साविक खसरा नम्बर 1816 रकबा 2 वीघा हाल खसरा नम्बर 1621 रकबा 0.19 हैक्टै. साविक खसरा नम्बर 1815मिन,हाल खसरा नम्बर 1618 रकबा 0.16 हैक्टे० साविक खसरा नम्बर 1815 मिन रकबा 1 वीघा 18 विस्वा से बना है। दिनांक 19.06.1981 को जगराम द्वारा साविक खसरा नम्बर 1817 रकबा 2 वीघा 12 विस्वा का वादी के पक्ष में निष्पादित मूल दस्तावेज विक्रय पत्र प्रदर्श 5, जमाबन्दी सम्बत 2056 से 2059 आ.ख.नम्बरान 1619,1620,1618,1621 आंशिक नकल खसरा नम्बर 1619मिन रकबा 0.13 गै.मु. रेलबे खसरा नम्बर 1621मिन रकबा 0.07 गै.मु. रेलबे महकमा रेलबे विभाग प्रदर्श6, जमाबन्दी सम्बत 2030 से 2033 जिसमें साविक खसरा नम्बर 1817 रकबा 2 वीघा 14 विस्वा जगराम वल्द परभाती के नाम दर्ज है। प्रदर्श 7 का अवलोकन मनन किया। इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि वादी के हाल खसरा नम्बर 1620 रकबा 0.36 के साविक खसरा नम्बर 1817 रकबा 2 वीघा 14 विस्वा जिसका नवीन पैमाईश से क्षेत्रफल 0.43 हैक्टे० होना चाहिए था लेकिन हाल खसरा नम्बर 1620 में 0.07 हैक्टे० भू–प्रबंध विभाग द्वारा कम दर्ज किया गया है जबकि वादी की आराजी से सटे हुए हाल खसरा नम्बर 1619 रकबा 0.34 हैक्टे० जिसका साविक खसरा नम्बर 1816 रकबा 2 वीघा काश्त जिसकी नवीन पैमाईश से क्षेत्रफल 0.32 हैक्टे० होता है 0.02 हैक्टे० वेशी किया गया है भू–प्रबंध विभाग ने प्रति० संख्या 1 लगायत 3 के पिता के नाम 2 ऐयर भूमि अधिक दर्ज करदी। हाल खसरा नम्बर 1618 रकाब 0.16 हैक्टे० व खसरा नम्बर 1621 रकबा 0.19 हैक्टे० जो साविक खसरा नम्बर 1815 रकबा 1 वीघा 18विस्वा से बने है। जिसकी नई पैमाईश 30 ऐयर होती है। प्रति० संख्या 1 लगायत 4 के नाम भू–प्रबंध विभाग ने गलत रूप से हाल खसरा नम्बर 1618 व 1621में 36 ऐयर दर्ज करदी है जो साविक खसरा नम्बर से 5ऐयर वेशी है। हाल खसरा नम्बर 1618 व 1621 में होकर रेलबे लाईन निकाली गई है। जिससे 1619 मिन 0.13, 1618 मिन रकबा 0.5, 1621 मिन रकबा 0.07 रेलवे विभाग के नाम दर्ज हुए है। भू–प्रबंध विभाग को रकबा कमी वेशी का अधिकार नहीं था। वादी की आराजी से कम हुए रकबा प्रति० की सटी हुई आराजी में भू–प्रबंध विभाग द्वारा वेशी किया है। वादी को खसरा नम्बर 1619 रकबा 0.21 में 2/21 हिस्से व खसरा नम्बर 1621 रकबा 0.12में 5/12 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाना उचित समझते है। प्रति० संख्या 01 लगायत 3 के पिता तोताराम के नाम ही खसरा नम्बर 1619 रकबा 0.21 में 2/21 व प्रति०

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

सं0 1 लगायत 3 व प्रति0 सं0 4 के नाम हो रहे खसरा नम्बर 1621 रकबा 0.12 में 5/12 हिस्से कलमजन किये जाकर वादी को इन हिस्सो पर खातेदार घोषित किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि:—

वादीगण का दावा दस्तावेजी साक्ष्य से साबित होने पर स्वीकार किया जाता है। ग्राम बेढम तहसील डीग में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1619/0.21 में से 2/21 हिस्से का व खसरा नम्बर 1621/0.12 में से 5/12 हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने तथा प्रति0 संख्या 1 लगायत 3 के पिता तोताराम के नाम हो रहे खसरा नम्बर 1619/0.21 में से 2/21 व प्रति0 संख्या 1 लगायत 3 व प्रति0 संख्या 4 के नाम हो रहे खसरा नम्बर 1621/0.12 में से 5/12 हिस्से से कलमजन किया जाकर वादी को 1619/0.21 में से 2/21 हिस्से का व खसरा नम्बर 1621/0.12 में से 5/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रति0 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(देवी सिंह)
सहायक कलक्टर,
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 26.03.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवी सिंह)
सहायक कलक्टर,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner